भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1464
उत्तर देने की तारीख-12/03/2025

यूजीसी विनियमों का प्रभाव

1464. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में गैर-शैक्षणिक पृष्ठभूमि से जुड़े पेशेवरों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के उद्देश्यों के साथ किस तरह संरेखित है और शैक्षणिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या सुरक्षा उपाय कार्यान्वित किए जाएंगे;
(ख) शिक्षकों के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन सूचकांक (एपीआई) प्रणाली को अधिक समग्र मूल्यांकन प्रणाली से बदलने का क्या औचित्य है; और
(ग) संस्थान उक्त नई रूपरेखा में निष्पक्षता और पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान है कि सभी अग्रणी पदों और संस्थानों के प्रमुखों के पदों पर उच्च शैक्षणिक योग्यता और स्थितियों का प्रबंधन करने की क्षमता के साथ-साथ विख्यात प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) के अग्रणी व्यक्ति मजबूत सामाजिक प्रतिबद्धता, टीम वर्क में विश्वास, बहुलवाद, विविध लोगों के साथ काम करने की क्षमता और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसी विशेषताओं के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों और संस्थान की समग्र दृष्टि के प्रति समग्र निष्ठा प्रदर्शित करेंगे।

इसके अलावा, एनईपी में सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने और उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में उद्योग-अकादमिक सहयोग को सुदृढ़ करने की भी

सिफारिश की गई है। मसौदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय) विनियम 2025, में प्रस्ताव है कि केवल असाधारण शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशासनिक योग्यता वाले सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ही कुलपति की भूमिका के लिए पात्र हैं। कुलपति पद के लिए संभावित अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने से विविध विशेषज्ञता, नेतृत्व उत्कृष्टता और उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण लाकर शैक्षणिक मानकों में वृद्धि की जाएगी।

कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति में पूर्व कुलपतियों और अग्रणी संस्थानों के निदेशकों सहित प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल सबसे योग्य व्यक्तियों को ही चुना जाए।

चयन प्रक्रिया योग्यता आधारित होती है, जिसमें अभ्यर्थियों का मूल्यांकन उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, नेतृत्व गुणों, प्रशासनिक क्षमताओं और उच्चतर शिक्षा सुधार में योगदान के आधार पर किया जाता है।

(ख): शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) में मात्रात्मक मैट्रिक्स पर अत्यधिक जोर दिया गया। एपीआई स्कोर पर अत्यधिक निर्भरता से संकाय सदस्यों को शिक्षण, अनुसंधान और सहयोग में सार्थक योगदान देने के बजाय अपने एपीआई स्कोर को अधिकतम करने के लिए किसी न किसी तरह से प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो उच्चतर शिक्षा का आधार हैं। मसौदा विनियमन उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अनुप्रयोग के विश्लेषण की पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ पद्धति अपनाने के लिए सशक्त बनाकर अभ्यर्थियों के मात्रात्मक मूल्यांकन के स्थान पर गुणात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है जिससे प्रणाली अधिक विश्वसनीय बन सके।

(ग): यूजीसी विनियम 2025 के मसौदे में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव किया गया है:

i. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए स्पष्ट और एक समान न्यूनतम योग्यता स्थापित करना।
ii. राष्ट्रव्यापी शैक्षणिक मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करना।
iii. प्रदर्शन-आधारित पदोन्नति प्रणाली लागू करना, जिससे शिक्षकों को शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
iv. यह सुनिश्चित करना कि पदोन्नति योग्यता-आधारित हो, जिससे जवाबदेही और प्रेरणा बढ़े।
v. संकाय के प्रदर्शन के नियमित आकलन और मूल्यांकन के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना।

*****